भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3339

सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

3339. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित लाभार्थियों के बीच प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार की वर्तमान मांगों के अनुरूप हों ताकि रोजगारपरकता में वृद्धि की जा सके;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई कार्ययोजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और इस योजना के अंतर्गत आवेदकों के लिए प्रणालीगत विलंब को न्यूनतम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सतत् परियोजना निष्पादन और प्रभावी कौशल विकास में सहायता करने के लिए वित्तपोषण की सीमाओं और अपर्याप्त अवसंरचना का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से पूर्ववर्ती रोजगार सृजन कार्यक्रमों नामतः ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का विलय करके वर्ष 2008-09 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) शुरू किया है। एमएसएमई मंत्रालय गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यमों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए पीएमईजीपी का कार्यान्वयन कर रहा है।

इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके निवास स्थान के समीप रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में सूक्ष्म उद्यमों की वृद्धि, विकास और संपोषण का समर्थन करने संबंधी पीएमईजीपी कार्यक्रम के बारे में पिछड़े और कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई पहलों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न गतिविधियों पर वेबिनार आयोजित करना और क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो जिंगल्स आदि प्रसारित करना शामिल हैं।

सरकार द्वारा पीएमईजीपी के तहत आवेदकों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और ब्यूरोक्रेटिक देरी को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में आवेदन प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल, ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित लाभार्थियों के लिए ऑफ़लाइन मोड की अनुमति, ऑफ़लाइन मोड में 11 क्षेत्रीय भाषाओं में आवेदन-पत्र, हैंडहोल्डिंग समर्थन प्रदान करना और उच्च सब्सिडी के लिए विशेष श्रेणी के तहत पात्र ट्रांसजेंडरों और आकांक्षी जिलों के आवेदकों को शामिल करना है।

एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत वर्गीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपये तक के ऋण के मामले और एमएसई ऋणकर्ताओं को 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया गया है, बैंकों को सलाह दी गई है कि ऋण निर्णय के लिए समय-सीमा 14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगी।

***